

356

464

न्यायाधीमान राजस्व मण्डल ग्वा लियर ₹००००

331
28.6.13

अध्या. श्री सतोषी प्रिण्ट.
"रतभाला" डाए प्रिण्ट.
रीवा.दि. 28-6-13

R. 2945- III 13

1. बेदान्ती प्रसाद पिता नारदमुनि ब्रा.
2. निरंजनलाल पिता राजराखन राम ब्रा.
3. लालबहादुर पिता राजराखन राम ब्रा.
4. बेजना इ पिता बासुखराम ब्रा.
5. शिबकुमार चतुर्वेदी
6. राजकुमार चतुर्वेदी
7. बिजय कुमार चतुर्वेदी
8. सरोज कुमार चतुर्वेदी उक्त अना. क. 5 से 8 के पिता हीरामणि चौबे
9. ज्ञानसागर पिता सुमन्तराम ब्रा.
10. रामजी पिता सुमन्तराम ब्रा.
11. रामलला चतुर्वेदी
12. बाबूलाल चतुर्वेदी
13. छोटेलाल चतुर्वेदी
14. श्रीकान्त चतुर्वेदी अना. क. 11 से 14 के पिता कालीचरण चतुर्वेदी
15. राजेश प्रसाद पिता रोहिणी प्रसाद ब्रा.
16. प्रकाश नारायण चतुर्वेदी पिता रोहिणी प्रसाद ब्रा.
17. विष्णुदानन्द
18. रमाकान्त
19. विष्णुनन्द
20. कृष्णानन्द
21. ब्रम्हानन्द अना. क. 17 से 21 के पिता दददेराम ब्रा.
22. अजीत कुमार पिता रमाकान्त ब्रा
23. भैरालाल पिता साधूराम
24. सचिन्तानन्द पिता साधूराम
25. राजीबलोचन पिता साधूराम
26. जबाहरलाल पिता कुन्जना इ ब्रा.
27. अमरना इ पिता गोपीना इ
28. लक्ष्मन्ना इ पिता गोपीना इ
29. बीरेन्द्र पिता गोपीना इ
30. उजाग्रि ताल पिता मोराटकराम ब्रा.

31. सुग्गीदेवी बेबा बत्नी जगतनारायण ब्रा.
32. रामकुमार पिता जगतनारायण ब्रा.
33. कृष्णकुमार पिता जगतनारायण ब्रा.
34. स्त्रांकर पिता जगतनारायण ब्रा.
35. सुशीलदेवी बति अरबिन्द देव बाण्डेय पिता स्व. जागेश्वर प्रसाद ब्रा.
36. निवासी ग्राम रमपुरवा तह. देबसर जिला सिंगरौली म. प्र. 01
37. महेन्द्र प्रसाद पिता नरेन्द्रदत्त राम ब्रा.
38. नीरज कुमार चतुर्वेदी पिता प्यारेलाल चतुर्वेदी
39. मु. बसन्तबा बेबा बत्नी नरेन्द्रदत्तराम ब्रा.

आवेदक क्र. 35 को छोड़कर सभी आवेदकगण निवासी ग्राम खड़ौरा तहसील देबसर जिला सिंगरौली म. प्र. 01 ।

आवेदकगण

बनाम

1. श्यामकार्तिक पिता अश्विनि चतुर्वेदी
2. कमलेश पिता अश्विनि चतुर्वेदी दोनो का पेशा खेती निवासी ग्राम कोल्हूआ तहसील देबसर जिला सिंगरौली म. प्र. 01
3. धरबेन्द्र प्रसाद पिता सुखपति प्रसाद चतुर्वेदी
4. सत्येन्द्र प्रसाद पिता सुखपति प्रसाद चतुर्वेदी
5. सत्यभामा बति श्याम भुवन देव बाण्डेय निवासी ग्राम बड़कड़ तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली म. प्र. 01
6. चन्द्रकान्त पिता कपिलमुनि
7. अब्धेश पिता कपिलमुनि
8. गुप्तनाथ पिता अदंकराब ब्रा.
9. उदयनाथ पिता अदंकराब ब्रा.
10. बृजेन्द्रनाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
11. देवेन्द्रनाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
12. नृसेन्द्रनाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
13. अमरेन्द्र नाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
14. भूसेन्द्रनाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
15. ज्ञानेन्द्रनाथ पिता हीरामणि चतुर्वेदी
16. राजीव कुमार पिता नर्बदा प्रसाद चतुर्वेदी
17. अजय कुमार पिता नर्बदा प्रसाद चतुर्वेदी
18. रतनकुमार पिता इन्द्रदत्तराम ब्रा.
19. रामाधार पिता इन्द्रदत्तराम ब्रा.
20. केशवप्रसाद पिता प्रतापराम चौबे

21. अच्युता प्रसाद पिता प्रतापराम चौबे
 22. अशोक कुमार पिता प्रताप राम चौबे
 23. अरविन्द कुमार पिता प्रतापराम चौबे
 24. अनिरुद्ध प्रसाद पिता क्विबनाथ राम ब्रा. अना. क्र. 1,2,5 को छोड़कर
 सभी का निवास ग्राम खड़ौरा तहसील देवसर जिला सिंगरौली म० प्र०

अना बेदकगण

निगरानी बिस्द आदेश अपर कलेक्टर महोदय
 बैदुन के निगरानी प्र. क्र. 243/10-11 आदेश
 दिनांक 29.4.2013

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म. प्र. भू. रा.
 संहिता 1959

मा न्यबर,

प्रकरण के सक्षम तथ्य-
 =====

१। यह कि अना बेदक क्र. 2,3 द्वारा प्रकरण में बतायी गयी विवादित भूमियों का बजाय अना बेदकगण अपने पक्ष में जरिए आपसी हिस्सा बांट में प्राप्त कर लेने के आधार को प्रकट कर तहसीलदार देवसर के यहां से नामान्तरण बंजी पर नामान्तरण को अविवादित होना दर्शित कर नामान्तरण करावें जिसकी जानकारी प्राप्त कर लेने के समय में अना बेदक क्र. 2 व 3 द्वारा एस. डी. अरे. देवसर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, एस. डी. ओ. देवसर द्वारा प्रथम अपील म्याद अंदर प्रस्तुत होना स्वीकार की गई जिस आदेश के बिस्द अना. क्र. 1 व 2 द्वारा निगरानी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई, अधीनस्थ न्यायालय में प्रथम अपील को प्रस्तुत न होने के आधार पर निगरानी स्वीकार की व अधीनस्थ अपील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जिसके बिस्द यह निगरानी निम्नांकित आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

क- यह कि अधीनस्थ निगरानी न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के बिस्द होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

ख- यह कि अधीनस्थ तहसीलदार ने विवादित नामान्तरण के मामले में छिपाव पूर्ण स्थित में बंजी पर नामान्तरण प्रमाणित किया है अतएव ऐसी दशा में नामान्तरण से हित रखने वाले प्रतिपक्ष पर विधिगत नामान्तरण से सूचना होना नहीं माना जा सकता व अधीनस्थ अपील न्यायालय ने प्रथम अपील को म्याद अंदर होने का आदेश करने में उचित निर्णय लिया है तथा अधीनस्थ निगरानी न्यायालय का उक्त के संबंध में विधिवत निर्णय व निरुद्ध अनुचित है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-2945-~~दा~~/2013

जिला-सिंगरौली

वेदान्ती प्रसाद/श्यामकार्तिकि

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 243/निग0/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

M

B. M. Sharma
(बी.एम.शर्मा),
सदस्य